

प्रेस-नोट थाना राजघाट जनपद गोरखपुर दिनांक 19.02.2024

40 ली0 अपमिश्रित अवैध कच्ची शराब, 500 ग्राम यूरिया व 200 ग्राम नौसादर के साथ 01 नफर अभियुक्ता गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अवैध शराब के निष्कर्षण एवं ब्रिकी से संबंधित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कोतवाली के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष राजघाट के नेतृत्व में उ0नि0 कमलेश प्रताप सिंह मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान अभियुक्त हसीना खातून पत्नी भोला निवासी शिवगंज थाना शिकारपुर जनपद बेतिया राज्य विहार 40 ली0 अपमिश्रित अवैध कच्ची शराब, 500 ग्राम यूरिया व 200 ग्राम नौसादर के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 0054/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम व 272 भा0द0सं0 पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता-

हसीना खातून पत्नी भोला नि. शिवगंज थाना शिकारपुर जनपद बेतिया राज्य विहार

बरामदगी-

40 ली0 अपमिश्रित अवैध कच्ची शराब 500 ग्रा0 यूरिया 200 ग्राम नौसादर

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 0054/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम व 272भा0द0सं0 थाना राजघाट जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

- 1- उ0नि0 कमलेश प्रताप सिंह चौकी प्रभारी टीपीनगर थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
- 2- हे0कां0 हरेन्द्र सिंह थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
- 3- कां0 विनोद कुमार थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
- 4- म0कां0 अंकिता तिवारी थाना राजघाट जनपद गोरखपुर